

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

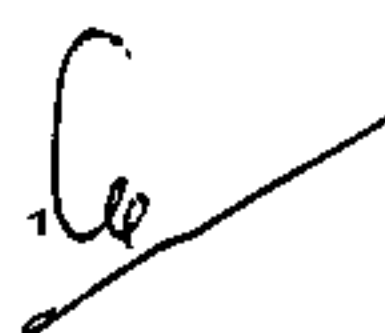
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-75/अंके०स्था०-10-23/2024/709/पं०रा०

पटना, दिनांक 03/10/2025

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन निम्नांकित अंकेक्षकों को विभागीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम-05 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अंकेक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	श्री हरेन्द्र भाई पटेल	रोहतास	जिला पंचायत राज कार्यालय, अररिया	औरंगाबाद	
2	श्री अविनाश कुमार पप्पू	पूर्वी चम्पारण	जिला परिषद् कार्यालय, अररिया	गोपालगंज	
3	श्री पंकज कुमार	नवादा	जिला पंचायत राज कार्यालय, बाँका	जिला परिषद्, पटना	
4	श्री मनीष कुमार	पटना	जिला पंचायत राज कार्यालय, जहानाबाद	गया जी	—
5	श्री सूरज सिंह राठौर	गोंडा (उ०प्र०)	जिला परिषद् कार्यालय, कैमूर	पूर्वी चम्पारण	
6	श्री शशि भूषण कुमार मंडल	सीतामढ़ी	जिला पंचायत राज कार्यालय, मुजफ्फरपुर	दरभंगा	
7	श्रीमती निशा भारती	पटना	प्रखंड, जिला-नालन्दा	सीतामढ़ी	
8	श्री ओम प्रकाश तिवारी	धनबाद (झारखण्ड)	जिला परिषद् कार्यालय, नवादा	भागलपुर	
9	श्री संदीप कुमार सिंह	गोपालगंज	जिला पंचायत राज कार्यालय, सारण	पूर्वी चम्पारण	
10	श्री विश्वकर्मा कुमार विश्व	भागलपुर	प्रखंड, जिला-शेखपुरा	कटिहार	
11	श्री मंतोष कुमार	पश्चिम चम्पारण	जिला पंचायत राज कार्यालय, शिवहर	सुपौल	
12	श्री नीरज कुमार मिश्रा	पश्चिम चम्पारण	जिला परिषद् कार्यालय, शिवहर	सीतामढ़ी	
13	श्री संदीप कुमार	पूर्वी चम्पारण	जिला पंचायत राज कार्यालय, पश्चिम चम्पारण	भागलपुर	
14	श्री सुदामा कुमार	पूर्वी चम्पारण	प्रखंड, जिला-पश्चिम चम्पारण	सहरसा	



15	श्री अभिषेक कुमार	भोजपुर	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	मधेपुरा	
16	श्री अभिषेक कुमार	शेखपुरा	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	भागलपुर	
17	श्री अखिलेश कुमार	सारण	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	मधेपुरा	
18	श्री डेविड कुमार	पटना	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	रोहतास	
19	श्री दिलीप कुमार	नालन्दा	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	गया जी	
20	श्री जितेन्द्र कुमार	कैमूर	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	भोजपुर	
21	श्री राजेश कुमार	रोहतास	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	अरवल	
22	सुश्री/श्रीमती राजश्री कुमारी	भागलपुर	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	मधेपुरा	
23	श्री रसम मुरारी	गया जी	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	रोहतास	
24	श्री सुरज कुमार	सारण	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	मधुबनी	

 लगातार.....

25	श्री विक्रम चौपाल	दरभंगा	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	मधुबनी	
26	श्री विवेक चौधरी	नालन्दा	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), प्रतिनियुक्त DLFA, वित्त विभाग, बिहार, पटना	लखीसराय	
27	सुश्री/श्रीमती नेहा	बेगूसराय	प्रखंड, जिला-दरभंगा	जमुई	
28	श्रीमती कुसुम कुमारी	सहरसा	प्रखंड, जिला-मधेपुरा	पूर्णियाँ	
29	श्री शाश्वत शेखर	पटना	जिला पंचायत राज कार्यालय, अरवल	वैशाली	
30	श्रीमती अर्पणा कुमारी	पटना	प्रखंड, जिला-सारण	पंचायती राज विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना	
31	श्री सत्य कृष्ण राय	समस्तीपुर	प्रखंड, जिला-गोपालगंज	बेगूसराय	

2. उपर्युक्त अंकेक्षकों को निदेशित किया जाता है कि पारगमन अवधि का उपभोग किये बगैर अविलम्ब नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी उनका योगदान स्वीकृत कर विभाग को सूचित करेंगे।

3. संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी संबंधित अंकेक्षकों को नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान करने हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. ज्ञातव्य है कि विभागीय पत्रांक-9679 दिनांक-01.08.2025 द्वारा बिहार पंचायत राज अंकेक्षक संवर्ग के जिला पंचायत अंकेक्षण अधिकारी/वरीय अंकेक्षण अधिकारी/अंकेक्षक के कार्यपद्धति एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुसार जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज कार्यालय में एक-एक वरीय अंकेक्षण अधिकारी/अंकेक्षक का पदस्थापन एवं जिलों में प्रत्येक तीन प्रखंड के लिए एक अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन किया जाना है।

अतएव वैसे जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज कार्यालय, जहाँ एक से अधिक वरीय अंकेक्षण अधिकारी/अंकेक्षक पदस्थापित हैं, वहाँ मात्र एक वरीय अंकेक्षण अधिकारी/अंकेक्षक

को छोड़कर अन्य को प्रत्येक तीन प्रखंड के लिए एक अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

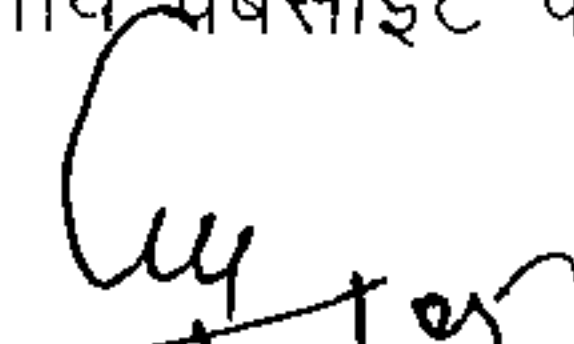

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक-7प/अंके० स्था०-10-23/2024/12416/पं०रा० पटना, दिनांक 03/10/2025
प्रतिलिपि:- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना/
संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्/संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार
पदाधिकारी/संबंधित अंकेक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित अंकेक्षक पदस्थापन वाले प्रखंड में से किसी एक प्रखंड में आवासन करना सुनिश्चित करेंगे।


(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक-7प/अंके० स्था०-10-23/2024/12416/पं०रा० पटना, दिनांक 03/10/2025
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने के निमित्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांक-7प/अंके० स्था०-10-23/2024/12416/पं०रा० पटना, दिनांक 03/10/2025
प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव